

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0

1250 तुलसी नगर भोपाल462003

फैक्स 2552665 ई-मेल dpswbpl@mp.nic.in

क्रमांक/सामा.सहा./मु.मं.क.यो./9/2016/104

भोपाल, दिनांक 28.1.2016

प्रति,

संयुक्त संचालक,(योजना)  
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
28, किस्तान भवन अरेरा हिल्स जेल रोड  
भोपाल।

विषय:- मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- आपकापत्र क्रमांक/बोर्ड/यो./म0प्र0/80तु0/14-पार्ट/  
15-18/3814 दिनांक 15.1.2016-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के संबंध में नडी बोर्ड द्वारा संचालित हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजनान्तर्गत विवाह सहायता में हम्माल एवं तुलावटियों की पुत्रियों का विवाह सामूहिक विवाह के स्थान पर एकल विवाह किये जाने पर मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-4/2013/26-2 दिनांक 1/1/2014 में दी गई राशि रुपये 25000/- में कौन-कौन सी राशि दी जाना है,के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

1. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री राशि रुपये 5000/-
2. कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये आवधि जमा राशि रुपये 10000/-
3. कन्या की गृहस्थी के लिये आवश्यक सामग्री हेतु कन्या के खाते में विवाह के 1 दिन बाद जमा की जाती है। राशि रुपये 7000/-
4. विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राशि रुपये 3000/-

योग राशि रुपये 25000/-

मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह के अंतर्गत कम से कम 5 कन्याओं का विवाह होना आवश्यक है। एकल विवाह के लिये राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(आलोक शर्मा)

उपसंचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण  
म0प्र0

रकत  
29/1/16

29-1-16